1

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 177 / 2023

जीसीएमएस नं. :– 2023 / 284

प्रार्थीगण :–
1. मदनलाल पुत्र निम्बाराम
2. भंवरलाल पुत्र निम्बाराम
3. रामकिशोर पुत्र निम्बाराम

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :– 09.10.2023

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मधुसुदन चौधरी प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश" दिनांक : 28.03.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
544	715	0.5987 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	724	0.3802 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	725	0.4692 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	कुल खसरा 03	कुल रकबा 0.5987 हैक्टयर	
928	962	5.2828 हैक्टयर	बारानी प्रथम

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी खाता सं. 544 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण मदनलाल का नाम त्रुटिवंश मदन दर्ज कर दिया, भंवरलाल का नाम सही दर्ज है तथा रामकिशोर का नाम त्रुटिवंश किशोर दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण की माता का नाम हीरी देवी का नाम त्रुटिवंश हीरा देवी दर्ज कर दिया तथा खाता सं. 928 वाली भूमि में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी भंवरलाल का नाम त्रुटिवंश भंवरराम दर्ज कर दिया बाकी प्रार्थीगण के नाम सही दर्ज हैं। इसलिए प्रार्थीगण मदनलाल, भंवरलाल, रामकिशोर व हीरी देवी सही नाम है जो राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दुरूस्त करवाने के हकदार हैं। प्रार्थीगण की माता हीरी देवी पत्नि निम्बाराम फौत हो जाने से फौतेदगी नामान्तरकरण हेतु दिनांक 26.06.2023 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थीगण की माता का नाम राजस्व रेकर्ड के एक खाता में हीरी देवी है तथा दूसरे खाते में हीरादेवी है इसलिए राजस्व रेकर्ड खाता सं. 544 में प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से सेवन से दर्ज हो गये जिसको दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 26.06.2023 को अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र नाम शुद्धिकरण करवाने हेतु प्रस्तुत किया जो बाद रिपोर्ट माननीय न्यायालय हाजा से ही दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

करवाने बाबत कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र नाम शुद्धिकरण का पेश करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड खाता सं. 544 में प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से रामकिशोर के स्थान पर किशोर, मदनलाल के स्थान पर मदन व हीरीदेवी के स्थान पर हीरादेवी गलत रूप से इन्द्राज कर दिये तथा इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के खाता सं. 928 में प्रार्थीगण भंवरलाल का नाम भंवरराम गलत रूप से इन्द्राज कर दिये जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक व लाजमी हैं। प्रार्थीगण मदन के स्थान पर मदनलाल, भंवरराम के स्थान पर भंवरलाल, किशोर के स्थान पर रामकिशोर तथा हीरादेवी के स्थान पर हीरीदेवी दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम साथीन चक प्रथम की सीमा में स्थित होने एवं मामला नाम शुद्धिकरण का होने से श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं. 544 खसरा नम्बर 715, 724, 725 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.5987 में किशोर पुत्र निम्बाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र निम्बाराम, मदन पुत्र निम्बाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र निम्बाराम, हीरदेवी पत्नि निम्बाराम के स्थान पर हीरीदेवी पत्नि श्री निम्बाराम दुरूस्ती फरमावे तथा इसी प्रकार खाता सं. 928 खसरा नम्बर 962 रकबा 5.2828 हैक्टयर में भंवरराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र निम्बाराम दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम साथीन के चक प्रथम खसरा नम्बर 715, 724, 725 में किशोर पुत्र निम्बाराम के रामकिशोर पुत्र निम्बाराम, मदन पुत्र निम्बाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र निम्बाराम, व हीरादेवी पत्नि निम्बाराम के स्थान पर हीरिदेवी पत्नि निम्बाराम व खसरा नम्बर 962 में भंवरराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र निम्बाराम दुरूस्त किया जाता हैं तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 715, 724, 725 में दर्ज नाम किशोर पुत्र निम्बाराम के रामकिशोर पुत्र निम्बाराम, मदन पुत्र निम्बाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र निम्बाराम, व हीरादेवी पत्नि निम्बाराम के स्थान पर हीरिदेवी पत्नि निम्बाराम किये जाने का निवेदन किया हैं। खसरा नम्बर 962 में भंवरराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र निम्बाराम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 715, 724, 725 में दर्ज नाम किशोर पुत्र निम्बाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र निम्बाराम, मदन पुत्र निम्बाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र निम्बाराम, व हीरादेवी पत्नि निम्बाराम के स्थान पर हीरिदेवी पत्नि निम्बाराम व खसरा नम्बर 962 में भंवरराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र निम्बाराम दुरुस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर